राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3490/2025

बनवारी लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.07.2025
आदेश की दिनांक : 25.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III सामाजिक अध्ययन के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढण्ड महवा जिला दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापित विद्यालय में पदस्थापन किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2025 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती से अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुंडेरा डूंगर, सीकराय जिला दौसा हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विद्यालय को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया। जिसके कारण अपीलार्थी को अधिशेष कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आदेश दिनांक 14.11.2024 जारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने दिशा–निर्देश दिए है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 में दिए गए दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर आस–पास रिक्त पदों वाली स्कूलों को दर्शाया नहीं गया। जिसके कारण अपीलार्थी को दूरस्थ स्कूल में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने

प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन एवं विकल्प पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–2)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रतयर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण निश्चित समय अवधि में करवाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष